



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2304]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2014/कार्तिक 20, 1936

No. 2304]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2014/KARTIKA 20, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2014

का.आ. 2879(अ).—विध्वंसक कीट व नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्

1. **लघु शीर्ष एवं प्रारम्भ.—**(1) इस आदेश को पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवां संशोधन) आदेश, 2014 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 अध्याय II के खण्ड 3 में उप-खण्ड (7) के लिये निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(7) पौध संरक्षण सलाहकार कृषि एवं सहकारिता विभाग में केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तथा खाद्य और कृषि संगठन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पौध संरक्षण सम्मेलन (आईपीसीसी) द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर नाशीजीव जोखिम विश्लेषण (पीआरए) करने के लिए दिशानिर्देश जारी करेंगे। जब तक ऐसे दिशानिर्देशों द्वारा नाशीजीव विश्लेषण नहीं किया जाता और ऐसे परमिट में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन परिशिष्ट-V में सूचीबद्ध है, के अलावा के परेषण के लिए किसी भी आयात की अनुमति नहीं होगी। इस प्रयोजन के लिए आयातक अथवा निर्यातक देश का एनपीपीओ भारत सरकार में कृषि और सहकारिता विभाग में पीपीए अथवा संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण) को पीआरए करने के लिए फार्म पीक्यू 24 में तकनीकी सूचना सहित फार्म पीक्यू 23 में भारत में कृषि जिन्सों के आयात हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। फार्म पीक्यू 24 में तकनीकी सूचना निर्यातक देश के राष्ट्रीय पौध संरक्षण संगठन (एनपीपीओ) द्वारा किसी भी हालत में वैधीकृत, अधिप्रमाणित और प्रदान किया जाएगा। पीआरए की प्रक्रिया में संगरोध नाशीजीव में जिन्स के साथ संबंधित

नाशीजीवों का श्रेणीकरण, प्रवेश करने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन, उनके प्रवेश करने के आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन और उनके विरुद्ध जोखिम शमन उपायों का विनिर्देशन शामिल हैं। पीआरए प्रक्रिया की समाप्ति में लदान पूर्व निरीक्षण करने के लिए निर्यातक देश में पादप स्वच्छता विशेषज्ञों का दौरा, कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन, संगरोध निरीक्षण और प्रमाणीकरण सुविधाएं शामिल हैं। आयातित परीक्षण में संगरोध नाशीजीवों के अवरोधन की स्थिति में परेषणों का आगे का आयात निरस्त किया जाएगा जब तक कि परेषण के संबंध में पहले के पीआरए की समीक्षा नहीं की जाती और जोखिम शमन उपायों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

पीक्यू फार्म 23

भारत में कृषि जिनसों के आयात हेतु नाशीजीव जोखिम विश्लेषण के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का विवरण

- 1.1 नाम/संगठन
 1.2 पता पोस्टल कोड
 1.3 फोन..... फैक्स..... ई-मेल.....

2. पीआरए सामान्य पैरामीटर

- 2.1 उत्पाद का वैज्ञानिक और सामान्य नाम
 2.2 देश/उद्गम देश
 2.3 मात्रा/आयतन

3. उत्पाद का प्रकार (एक अथवा एक से अधिक पर गोला लगाएं)

- 3.1 प्रसंस्कृत/गैर-प्रसंस्कृत 3.2 सजीव/निर्जीव
 3.3 पादप/पशु 3.4 आनुवांशिक रूप से संशोधित/गैर अनुवांशिक रूप से संशोधित
 3.5 बीज/पादप/मृदा 3.6 कल्चर/नॉन कल्चर
 3.7 अन्य

4. उत्पाद प्रसंस्करण (यदि लागू हो)

- 4.1 यदि बीज : पीसा हुआ/कूटा हुआ/साबुत/परिरक्षित
 4.2 यदि पादप : ताजा/सूखाया हुआ/फ्रीज में सूखाया हुआ/परिरक्षित
 4.3 प्रसंस्करण परिष्करण : पकाया हुआ/हिमित/लुगदी बनाया हुआ/भाप लगाया हुआ
 4.4 उपचार का ब्यौरा दें.....

5. उत्पाद का उद्गम (यदि प्रश्न संगत नहीं है तो उसका उल्लेख करें)

- 5.1 स्रोत स्थान (देश, उद्गम और स्थान).....
 5.2 उत्पादन की प्रणाली, प्रमाणीकरण स्कीम और / अथवा प्रत्यायन का प्रकार ?

6. अंतिम उपयोग (एक अथवा एक से अधिक पर गोला लगाएं)

- 6.1 मानव खपत/प्रसंस्करण/स्टॉक फीड/पालतु पशु का आहार/मछली का भोजन/बुवाई के लिए बीज/नर्सरी स्टॉक/बहुलीकरण/प्रवेश पश्चात् संगरोध/थेराप्यूटिक/उर्वरक/इनवाइवो/इनविटरो
 6.2 अन्य

7. अंतिम स्थान (गोला लगाएं और / अथवा विनिर्दिष्ट करें)

7.1 ग्रामीण/शहरी

7.2 एक से अधिक स्थान/एक स्थान

7.3 देश, राज्य और/ अथवा उद्गम विनिर्दिष्ट करें (पीआरए परिभाषित क्षेत्र)

8. प्रवेश (एक अथवा एक से अधिक पर गोला लगाएं)

जहाज/हवाई जहाज/भू परिवहन/रेल/अन्य

9. सामान्य टिप्पणियां (अन्य कोई सामान्य टिप्पणी अथवा नोट जिसे दिया जाना आवश्यक है यहां दें)

.....

पीआरए अनुरोध फार्म निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रस्तुत किया जाए

पौध संरक्षण सलाहकार, डीपीपीक्यूएस, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा) अथवा

संयुक्त सचिव (पीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

पीक्यू फार्म 24**नाशीजीव जोखिम विश्लेषण (पीआरए) के लिए तकनीकी सूचना आवश्यकता****1. पौध एवं पौध उत्पाद**

1.1 सामान्य नाम

1.2 वैज्ञानिक (वंश व प्रजाति/कुल/किस्म/कल्टीवार) नाम;

1.3 प्रतिरोधी अथवा गैर-प्रतिरोधी किस्में;

1.4 ऐसे देश जिन्होंने पहले ही आयात किया है;

1.5 आयात किए जाने वाले पौधों के भाग (पूरा पौधा/बीज/कटाई/पौध/बडवुड/मूल/फल आदि);

2. उत्पादन क्षेत्र

2.1 मानचित्र पर उत्पादन का स्थान (देश व प्रांत);

2.2 उत्पादन व निर्यात (टन/वर्ष);

3. कृषि पद्धतियाँ

3.1 कटाई की प्रणाली व समय;

3.2 पौध संरक्षण के उपाय (नाशीजीवों के नियंत्रण व उन्मूलन के लिए);

4. नाशीजीव सूची (सभी जीवों के लिए अलग से)

4.1 वैज्ञानिक व सामान्य नाम;

4.2 नाशीजीव जीवविज्ञान;

4.3 प्रभावित पौधों के हिस्से;

4.4 लक्षण;

4.5 वितरण व नाशीजीव मुक्त क्षेत्र;

4.6 नाशीजीव स्थिति (प्रसार);

4.7 प्रबंधन पद्धतियां;

4.7.1 कृषि पद्धतियां;

4.7.2 जीवविज्ञानीय (जीवविज्ञानीय नियंत्रण एजेंट, प्रतिरोधी किस्मों, क्रोप स्किपिंग का उपयोग.....)

4.7.3 रासायनिक (नाशीजीवमार उपयोग के प्रकार, प्रणाली, समय व संख्या.....)

4.8 डाटाबेस व रेफरेंस

5. पैकेजिंग

5.1 पैकिंग की प्रणाली

5.2 निरीक्षण की प्रक्रिया

5.3 नाशीजीव प्रबंधन उपचार

5.4 शर्तें व भण्डारण स्थान की सुरक्षा

6. निर्यात कार्यकलाप (नीति/कार्यकलाप)

6.1 पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी करने की वर्तमान प्रक्रिया (अतिरिक्त घोषणा सहित)

7. संगत समर्थनकारी दस्तावेज

3. अनुसूची VI में संशोधन - पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में

(i) मद (ii) के पश्चात् कोष्ठक (4) में खपत के लिए सब्जियों के संबंध में प्रविष्टि (iii) के लिए कोष्ठक 3 में “एसपेरेगस ओफिसिनलीस (एसपैरेगस)” से संबंधित क्रम संख्या 38 के लिए तथा कोष्ठक (5) व (6) में उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित मद व प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, नामतः :—

(4)	(5)	(6)
(iii) श्रीलंका	से मुक्त क) पेरीड्रोमा सोसिया (पर्ली अंडरविंग मोथ)	(क) मृदा व संगरोध खरपतवार बीज से मुक्त (ख) एनएपी के तहत 21 डि. से. व उससे अधिक तापमान पर दो घंटों के लिए 32 ग्रा./घन मीटर की दर से मिथाइल ब्रोमाइड से धूमन तथा उपचार उद्गम व पुनःनिर्यात के देश में जारी किए गए पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा।

(ii) कोष्ठक (4) में खपत के लिए सूखे मेवों के संबंध में प्रविष्टि (ii) के लिए कोष्ठक (3) में जुगलान्स (अखरोट) से संबंधित क्रम सं. 184 के लिए वर्तमान प्रविष्टि को मद (i) के रूप में पुनःसंख्यायित किया जाएगा तथा इस प्रकार से पुनःसंख्यायित मद (i) व कोष्ठक (5) व (6) में उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी नामतः :—

(4)	(5)	(6)
(ii) चिली	क) एपीडायसपिस लेपरी (यूरोपियन पिअर स्केल) ख) पेंटोमोरस सर्विनस (फूलरस रोज बीटल) ग) फाइटोथोरा क्रिप्टोगीआ (टोमटो फुट रोट) घ) शूडोकोकस कैलसीओलेरी (स्कारलेट मीलीबग)	एनएपी के तहत 21 डि.से. व उससे अधिक तापमान पर 24 घंटे के लिए 16 ग्रा./घन मीटर पर एमबी धूमन तथा उद्गम/पुनःनिर्यात के देश में जारी किए गए पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर उपचार पृष्ठांकित किया जाएगा।

(iii) पोम फ्रूट (एपल, पीअर) पाइरस-एसपीपी से संबंधित प्रविष्टि (i) के लिए कोष्ठक (2) में क्रम संख्या 262 “खपत के लिए ताजे फल” के संबंध में प्रविष्टि (iii) के लिए कोष्ठक (3) में क्विंस (साइडोनिया एसपीपी) के लिए, मद (XIV) के पश्चात् तथा कोष्ठक (5) व (6) में उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी नामतः :—

(4)	(5)	(6)
(xv) अर्जेन्टीना	से मुक्त क) एमेटेस्टेजिआ एसपीपी (साफ्लाइज) ख) एनसट्रेफा फ्रेटरक्यूलस (साऊथ अमेरिकन फूट फ्लाई) ग) ग्राफोलिता मोलेस्टा (ओरियन्टल फूट मोथ) घ) हारमोनिया एक्सीरिडिस (हार्लेक्विन लेडीबर्ग) ङ) पेन्टोमोरस सरवीनस (फूलरस रोज बीटल) च) पेरीड्रोमा सोसिया (पर्ली अंडरविंग मोथ) छ) फाइटोथोरा क्राइप्टोजिया (टोमैटो फूट रोट) ज) सीयूडोमोनास वीरीडीफलावा (बैक्ट्रियल लीफ ब्लाइट ऑफ टोमैटो (यूएसए))	40 दिन के लिए 0.0 डि.से. पर शीत उपचार उद्गम/पुनःनिर्यात के देश में जारी किए गए पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर उपचार पृष्ठांकित किया जाएगा।

(iv) कोष्ठक (3) में खाया सेनेगलेनसिस (अफ्रीकन महोगनी) से संबंधित क्रम संख्या 186 के लिए वर्तमान प्रविष्टि को मद (i) के रूप में पुनःसंख्यायित किया जाएगा तथा इस प्रकार से पुनःसंख्यायित मद (i) के पश्चात् कोष्ठक (4), (5) व (6) में उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, नामतः :—

(3)	(4)	(5)	(6)
(ii) छाल सहित/बिना छाल की लकड़ी	(i) आस्ट्रेलिया	शून्य	(i) संगरोध खर-पतवार बीज एवं मृदा प्रदूषण से मुक्त

(v) कोष्ठक (3) में लूपिनस एसपीपी (लिपिनस) से संबंधित क्रम संख्या 205 के लिए वर्तमान प्रविष्टि को मद (i) के रूप में पुनःसंख्यायित किया जाएगा तथा इस प्रकार से पुनःसंख्यायित मद (i) के पश्चात् व कोष्ठक (4), (5) व (6) में उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, नामतः :—

(3)	(4)	(5)	(6)
(ii) खपत के लिए अनाज (एस्पीटेड)	(ii) आस्ट्रेलिया	से मुक्त: क) फोमोप्सीस लोंगीकोला (फोमोप्सीस सीड डीकैय) ख) फोमोप्सीस लेप्टोस्ट्रोमिफोर्मिस (स्टेम ब्लाइट : लूपिन) ग) फाइटोथोरा सोजेड (फाइटोथोरा रूट व स्टेम रोट)	(i) संगरोध खरपतवार बीज एवं मृदा प्रदूषण से मुक्त (ii) 21 डि. से. व समान तापमान पर 24 घंटों के लिए 32 ग्रा./घनमीटर पर मिथाईल ब्रोमाइड द्वारा धूमन या पौध संरक्षण सलाहकार, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उपचार एवं उपचार उद्गम या पुनः निर्यात के देश में जारी किए गए पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होनी चाहिए।

4. क्र.सं. 231 के लिए उक्त आदेश की अनुसूची VII में, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्र.सं. (i)	पौध एवं पौध सामग्री
"231	सेन्टालम एसपीपी – खपत के लिए चंदन (लकड़ी/गिरी)"

[फा. सं. 8-57/2011-पीपी- II खण्ड II (भाग II)]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

नोट : पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 को दिनांक 18 नवम्बर, 2003 को संख्या का.आ. 1322 (असा.) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा बाद में 06 फरवरी, 2004 के का.आ. 167 (असा.), 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427 (असा.), 31 मई, 2004 के का.आ. 644 (असा.), 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263 (असा.),

31 मार्च, 2005 के का.आ. 462 (असा.), 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121 (असा.), 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353 (असा.), 31 अक्टूबर, 2006 के का.आ. 1873 (असा.), 06 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074 (असा.), 03 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069 (असा.), 31 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 3 (असा.), 08 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847 (असा.), 15 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2888 (असा.), 09 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286 (असा.), 16 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2390 (असा.), 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269 (असा.), 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298 (असा.), 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907 (असा.), 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095 (असा.), 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284 (असा.), 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516 (असा.), 04 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711 (असा.), 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052 (असा.), 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887 (असा.), 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845 (असा.), 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296 (असा.), 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775 (असा.), 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799 (असा.), 28 मई, 2013 के का.आ. 1378 (असा.), 14 जून, 2013 के का.आ. 1531 (असा.), 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919 (असा.), एवं 13 जून, 2014 के का.आ. 1508 (असा.), 27 जून, 2014 के का.आ. 1632, 12 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2320 एवं 29 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2542 (असा.) के माध्यम से संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2014

S.O. 2879(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:—

1. **Short title and Commencement.**—(1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Fifth Amendment) Order, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Chapter II of Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, the existing entries relating to clause 3 (7) shall be substituted by the following entries, namely:—

(7) The Plant Protection Adviser shall, after obtaining the approval of the Central Government in the Department of Agriculture & Cooperation and based on International Standards established by the International Plant Protection Convention (IPPC) under Food and Agriculture Organization, issue the guidelines for carrying out Pest Risk Analysis (PRA). No import shall be permitted for the consignment other than those listed in Schedule-V, VI and VII unless the Pest Risk Analysis is carried out in accordance with such guidelines and subject to such restrictions and conditions as specified in such permit. For this purpose the importer or NPPO of exporting country shall submit an application for PRA for import of agricultural commodities into India in form PQ 23, including the technical information in form PQ 24 for conducting PRA to PPA or Joint Secretary (Plant Protection) in the Department of Agriculture & Cooperation in the Government of India. The technical information in form PQ 24 will in any case be validated, authenticated and provided by National Plant Protection Organization (NPPO) of the exporting country. The process of PRA involves the categorization of pests associated with the commodity into quarantine pests; evaluation of their introduction potential; critical assessment of economic and environmental impact of their introduction; and specification of risk mitigating measures against them. The completion of PRA process may involve the visit of Phytosanitary experts to the country of export to carry out pre-shipment inspections, evaluate post-harvest treatment technologies and quarantine inspection and certification facilities. In the event of interception of quarantine pest in imported consignment, further import of consignments shall be suspended until earlier PRA in respect of the consignment is reviewed and the risk mitigating measures are evaluated.

PQ Form 23

Application for Pest Risk Analysis for Import of Agricultural Commodities into India**1. Details of Applicant**

- 1.1 Name/Organisation.....
- 1.2 Address..... Postal code.....
- 1.3 Phone Fax E-mail

2. PRA General Parameters

- 2.1 Scientific & Common name of the product
- 2.2 Country/countries of origin
- 2.3 Quantity/Volume

3. Product Type (circle one or more)

- 3.1 Processed/Non-processed 3.2 Living/non- living
- 3.3 Plant/Animal 3.4 Genetically modified/non-genetically modified
- 3.5 Seed/plant/soil 3.6 Culture/non-culture
- 3.7 Other.....

4 Product Processing (if applicable)

- 4.1 If seed: ground/kibbled/ whole/preserved
- 4.2 If plant: fresh/ dried/freeze dried/preserved
- 4.3 Processing refinement: cooked/frozen/pulped/steamed
- 4.4 Specify treatment details

5 Product Origins (please state if question not relevant)

- 5.1 Source location (by country, origin & locality)
- 5.2 Production method, Certification scheme and/or accreditation type?
-

6 End Use (circle one or more)

- 6.1 Human consumption/Processing/Stock feed/Pet food/Fish food/Seeds for sowing/
Nursery stock/Multiplication/Post-entry Quarantine/Therapeutic/Fertilisers/*In-vivo/Invitro*
- 6.2 Other

7 End Destination (circle &/or specify)

- 7.1 Rural/urban 7.2 Multiple locations/single
- 7.3 Specify Country, State & / or region (PRA defined area)

8 Entry (circle one or more)

- Ship/Air/Ground transport/Rail/Other.....

9 General Comments (any further general comment or notes that need to be made, please make here).....**PRA request form may be submitted to:**

Plant Protection Adviser, DPPQS, Faridabad-121001 (Haryana) or

Joint Secretary (PP), DAC, Krishi Bhavan, New Delhi -110001

Technical Information Requirement for Pest Risk Analysis (PRA)**1. Plant and Plant Product**

- 1.1 Common name;
- 1.2 Scientific (genus & species/strain/variety/cultivar) name;
- 1.3 Resistant or non-resistant varieties;
- 1.4 Countries that have already imported;
- 1.5 Plant part to be imported (whole plant/seed/cutting/sapling/ budwood/bulb/fruit etc.);

2. Production Area

- 2.1 Place of production on map (country and province);
- 2.2 Production and Export (tons/year);

3. Cultivation practices

- 3.1 Harvest method and time;
- 3.2 Plant protection measures (to control and eradicate the pests);

4. Pest List (separately for all the pests)

- 4.1 Scientific & Common name;
- 4.2 Pest biology;
- 4.3 Plant parts affected;
- 4.4 Symptoms;
- 4.5 Distribution and pest free areas;
- 4.6 Pest status (prevalence);
- 4.7 Management practices;
 - 4.7.1 Cultural practices;
 - 4.7.2 Biological (use of biological control agents, resistant varieties, crop skipping...);
 - 4.7.3 Chemical (type, method, time and number of pesticide use...)
- 4.8 Database and reference

5. Packaging

- 5.1 Method of packaging;
- 5.2 Inspection procedure;
- 5.3 Post harvest treatment;
- 5.4 Conditions and security of storage place.

6. Export program (policy/activity)

- 6.1 Trading partners;
- 6.2 Existing procedure for issuing phytosanitary certificates (including additional declaration).

7. Copies of relevant supporting documents.

- 3. **Amendment of Schedule VI** - In Schedule VI of the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) order, 2003,—

- (i) Against Serial No. 38 relating to “*Asparagus officinalis* (Asparagus)” in column 3 against the entry (iii) regarding vegetables for consumption, in column (4) after the item (ii) and the entries relating thereto, in column (5) and (6) the following item and entries shall respectively be inserted, namely:—

(4)	(5)	(6)
(iii) Sri Lanka	Free from : a) <i>Peridroma saucia</i> (Pearly underwing moth)	(a) Free from soil and quarantine weed seeds. (b) Fumigation with Methyl bromide @ 32 g/cubic meter for 2 hrs at 21°C and above under NAP and the treatment to be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export.

- (ii) Against Serial No. 184, relating to *Juglans spp.* (Walnut), in column (3) against the entry (ii) regarding Dry Fruits for consumption, in column (4), the existing entry shall be re-numbered as item (i) thereof and after item (i) as so re-numbered and the entries relating thereto in column (5) and (6) the following item and entries shall respectively be inserted, namely:—

(4)	(5)	(6)
(ii) Chile	a) <i>Epidiaspis leperii</i> (European pear scale) b) <i>Pantomorus cervinus</i> (Fuller's rose beetle) c) <i>Phytophthora cryptogea</i> (tomato foot rot) d) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug)	MB fumigation @16 g/ cubic meter for 24 hrs at 21°C and above under NAP and the treatment shall be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.

- (iii) Against serial no. 262, in column (2) against the entry (i) relating to “Pome Fruit (Apple, Pear (*Pyrus spp.*) and Quince (*Cydonia spp.*) in column (3) against the entry (iii) regarding “Fresh Fruit for Consumption”, after the item (xiv) and the entries relating thereto in columns (5) and (6), the following item and entries shall respectively be inserted, namely:—

(4)	(5)	(6)
(xv) Argentina	Free from: a) <i>Ametastegia spp.</i> (Sawflies) b) <i>Anastrepha fraterculus</i> (South American fruit fly) c) <i>Grapholita molesta</i> (Oriental fruit moth) d) <i>Harmonia axyridis</i> (Harlequin ladybird) e) <i>Pantomorus cervinus</i> (Fuller's rose beetle) f) <i>Peridroma saucia</i> (Pearly underwing moth) g) <i>Phytophthora cryptogea</i> (Tomato foot rot) h) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Bacterial leaf blight of tomato (USA)	Cold treatment @ 0.0°C for 40 days. The treatment should be endorsed on Phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export.

- (iv) Against Serial No. 186, relating to *Khaya senegalensis* (African mahogany), in column (3) the existing entry shall be re-numbered as item (i) thereof, and after item (i) as so re-numbered and the entries relating thereto in columns (4), (5) and (6), the following item and entries shall respectively be inserted, namely:—

(3)	(4)	(5)	(6)
(ii) Wood with/without bark.	(i) Australia	Nil	(i) Free from quarantine weeds seeds and soil contamination.

- (v) Against Serial No. 205, relating to *Lupinus spp.* (Lupins), in column (3) the existing entry shall be re-numbered as (i) thereof and after item (i) as so re-numbered and the entries relating thereto in columns (4), (5) and (6), the following item and entries shall respectively be inserted, namely:—

(3)	(4)	(5)	(6)
(ii) Grains (spitted) for consumption	(i) Australia	Free from: a) <i>Phomopsis longicolla</i> (Phomopsis seed decay) b) <i>Phomopsis leptostromiformis</i> (Stem blight: lupin) c) <i>Phytophthora sojae</i> (Phytophthora root and stem rot)	(i) Free from quarantine weeds seeds and soil contamination. (ii) Fumigation by Methyl bromide at 32 g/ m ³ for 24 hrs at 21°C or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin or re-export.”

4. In Schedule VII of the said order, for serial number 231 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

S. No. (1)	Plant and Plant Material
“231	<i>Santalum spp.</i> – Sandalwood (wood/nuts) for consumption.”

[F. No. 8-57/2011-PP. II Vol. II (Part II)]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended *vide* number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 1st January, 2008, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. 2845 (E) dated 21st December, 2011, S.O. No. 296 (E) dated 17th February, 2012 and S.O. 2775(E) 23rd November, 2012 S.O. 799(E) dated 21st March, 2013, S.O. 1378(E) dated 28th May, 2013, S.O. 1531(E) dated 14th June, 2013, S.O. 2919(E) dated 26th September, 2013, S.O. 1508(E) dated 13th June, 2014, S.O. 1632 dated 27th June, 2014, S.O. No. 2320 dated 12th September, 2014 and S.O. 2542(E) dated 29th September, 2014.